Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 5, April-2019, ISSN 2230-7540

असहयोग आन्दोलन एवं हरियाणा: एक अध्ययन

Dr. Neeraj Kumar*

Assistant Professor, History Department, Kurukshetra University, Kurukshetra

शोध सार-लेख – ***प्रस्तुत लेख में हरियाणा में घटने वाली असहयोग आन्दोलन की गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस लौटे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान गांधी के आह्वान पर भारत की जनता ने ब्रिटिश सरकार का बढ़-चढ़ कर सहयोग किया। गांधी जी का मानना था कि युद्ध के पश्चात् सरकार भारत को स्वशासन प्रदान करेगी। लेकिन सरकार ने स्वशासन के बदले भारत को 'रोलट एक्ट' नामक कानून दिया। जिसके अन्तर्गत शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इससे ना केवल गांधी जी में बल्कि पूरी भारतीय जनता में सरकार के विरूद्ध रोष उत्पन्न हुआ। जिसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी के साथ 1 अगस्त, 1920 को असहयोग आन्दोलन शुरू हो गया। जब असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश में भी इस आन्दोलन का प्रभाव नजर जाता है। आन्दोलन शुरू होते ही गांधी जी के आह्वान पर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सरकार का विरोध किया गया। जैसे सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का त्याग करें, वकील सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाऐगा आदि। हरियाणा प्रदेश के जिलों में जैसे रोहतक, गुड़गाँव, अम्बाला, हिसार में पंडित श्रीराम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय, श्री राम शर्मा, लाला हुक्मचन्द आदि के द्वारा सरकार का विरोध किया गया तथा गिरफ्तारियाँ दी। लेकिन जब हरियाणा में असहयोग आन्दोलन अपने चरम पर था। उसी समय 5 फरवरी, 1922 को चैरा-चैरी नामक स्थान पर हिंसात्मक घटना घटी। जिससे गांधी जी काफी आहत हुऐ और उन्होंने असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया तथा 12 फरवरी, 1922 को भारत के साथ-साथ हरियाणा क्षेत्र में भी असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया।***

----------X----------

महात्मा गांधी 9 जनवरी, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापिस भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किऐ गऐ संघर्षों ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। गोखले ने कहा था कि, "गांधी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाये जाते हैं। इसमें लोगों को समोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वह आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।"[1]

गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक सम्पूर्ण स्थिति का विश्लेषण ना कर लिया जाऐ। गोखले के कहने पर गांधी जी ने एक वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया तथा सक्रिय राजनीति से दूर रहे। गांधी जी ने राजनीति में भाग न लेने का कारण बताया और उन्होंने कहा कि "मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूँ जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूं, मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उस संगठन में शामिल होऊंगा। तथा साथ-साथ यह भी कहा कि मैं केवल उसी आन्दोलन से जुड़ सकता हूँ, जो सत्याग्रह के रास्ते पर चलता है।"[2]

गांधी जी ने संघर्ष का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जिसमें जनसाधारण राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए जागरूक हो सके तथा मजदूर, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, वकील, महिलायें तथा दूसरे व्यवसाय के लोग इस आन्दोलन के साथ जुड़ सकें।[3]

जब 1915 में गांधी वापिस भारत आऐ उस समय विश्व प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। साथ-साथ भारत में भी विश्व युद्ध के प्रभाव से अफरातफरी बनी हुई थी। इस प्रकार एक राजनैतिक अव्यवस्था के वातावरण ने गांधी जी का स्वागत किया।[4]

लेकिन 1919 में भारतीय कांग्रेस पार्टी के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन आया। इस समय गांधी जी का भारतीय राजनीतिक इतिहास उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय ने सैन्य, धन व शारीरिक रूप से ब्रिटिश सरकार की सहायता की। जनता को यह उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात् लोगों को स्वशासन तथा संवैधानिक सुधार दिये जायेंगे। लेकिन इन

www.ignited.in

सुधारों की बजाए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को 'रोलट एक्ट' नामक कानून दिया।[5]

रोलट एक्ट नामक कानून सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में 18 मार्च, 1919 की ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत भारत सरकार को किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाऐ जेल में डाल सकती है। इस एक्ट का विरोध ना दलील, ना वकील तथा ना अपील नामक नारे के साथ किया गया।[6]

जब भारत में रोलट एक्ट का विरोध शुरू हुआ तो हरियाणा क्षेत्र भी इस विरोध में शामिल हो गया। मार्च, 1919 को सरदार झंडा सिंह की अध्यक्षता में अम्बाला में रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसी प्रकार हिसार में भी जनसभा का आयोजन किया गया।[7]

गांधी जी ने 30 मार्च, 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। लेकिन बाद में इस तिथि को बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। गांधी जी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश में हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला में 30 मार्च से ही व्यापक आन्दोलन शुरू हो गया। आन्दोलन के दौरान जिले तथा तहसीलों में रोलट एक्ट के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया। सरकारी रिपोर्टस के अनुसार अन सभाओं में 5000 से 10000 तक लोग शामिल होते थे। हरियाणा में शहरी तथा ग्रामीण समाज में रोलट एक्ट के विरूद्ध काफी रोष पनपा।[8]

6 अप्रैल, 1919 को स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य नेताओं के निमंत्रण पर गांधी जी बम्बई से दिल्ली तथा पंजाब के दौरे के लिए रवना हुऐ। गांधी जी के आने की खबर सुनकर ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और गांधी को पलवल स्टेशन से आगे जाने से मना कर दिया। लेकिन गांधी जी ने सरकार के आदेश को नहीं माना। इसलिए 10 अप्रैल, 1919 को गांधी को गिरफ्तार करके वापिस बम्बई भेज दिया। गिरफ्तारी के विरोध में अलग-अलग स्थानों पर सार्वजनिक सभाऐं हुई। जिसमें रोहतक में भी ऐसी सभा के माध्यम से चैधरी छोटूराम, सिया मुश्ताक हुसैन, बाबू लालचंद जैन आदि ने खुले विद्रोह का आह्वान किया।[9]

गांधी जी की गिरफ्तारी से आन्दोलन हिंसा के अन्धकार में फंस गया। इसी बीच 13 अप्रैल, 1919 को पंजाब प्रांत में अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया। लेकिन इस आयोजन के दौरान जरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर अन्धाधुन्ध गोलीयां चलवाई। जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गऐ।[10]

इस घटना से हड़तालों क सिलसिला बढ़ने लगा तथा अलग-अलग स्थानों पर हिंसात्मक घटनाऐं घटने लगी। 14 अप्रैल को बहादुरगढ़ के रेलवे कर्मचारियों, मजदूरों तथा सामान्य जनता ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया। कैथल की उतेजित भीड़त ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया। 20 अप्रैल को रोहतक में जाट हाई स्कूल के समीप नहर विभाग के टेलीफोन के तार काट दिऐ गऐ। आन्दोलन में घटने वाली हिंसात्मक गतिविधियों से चिंतित होकर करनाल व गुड़गांव जिलों को पुलिस एक्ट की धारा 15 के अधीन कर दिया। इस प्रकार समस्त क्षेत्र पुलिस के नियंत्रण में आ गया।[11]

ब्रिटिश सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए अलग-अलग कदम उठाऐ। जैसे 22 अप्रैल को उन्होंने मुसलमानों से हिसार में मीटिंग का आयोजन करवाकर आन्दोलन का विरोध करवाया। इसी प्रकार हिसार में लगातार मुसलमानों ने सभाओं का आयोजन किया।[12]

रोलट एक्ट के साथ-साथ गांधी जी मुसलमानों द्वारा चलाऐ गऐ खिलाफत आन्दोलन से जुड़ गऐ। इस अवसर के द्वारा गांधी जी हिन्दूओं व मुसलमानों को एकजुट करके अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आन्दोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून, 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आन्दोलन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी।[13]

1 अगस्त, 1920 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध आन्दोलन शुरू किया तथा उन्होंने अपने केसरे-हिंद तथा बोअर बार मैडल सरकार को वापिस लौटा दिऐ।[14]

भारत के साथ-साथ हरियाणा में भी खिलाफत आन्दोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। अम्बाला से अब्दुल रशीद, पानीपत से सूफी इकबाल, गुड़गांव से मुहम्मद यासीन खां, भिवानी से मुहम्मद उस्मान, हिसार से नाजीर बेग के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में सरकार का विरोध हुआ। मुसलमानों के द्वारा 'खैरख्वाह मंजलिस' नामक संगठन की स्थापना की गई। इसके केन्द्र भिवानी, रोहतक, गुड़गांव और करनाल में थे।[15]

8 अक्तूबर, 1920 को महात्मा गांधी अली बन्धू मोहम्मद अमाहउल्लाह व सूफी इकबाल से मिलने रोहतक जेल में आऐ। गांधी जी ने इसी दिन जनसभा को संबोधित किया तथा उन्होंने सरकार के साथ असहयोग करने की पुरजोर अपील

www.ignited.in

की। पंजाब कांग्रेस कमेटी ने अगस्त, 1920 को असहयोग आन्दोलन चलाना स्वीकार किया।[16] 4 सितम्बर, 1920 को कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने ऐतिहासिक प्रस्ताव के माध्यम से पूर्णतया अहिंसावादी मार्ग पर चलते हुऐ निम्न तरीके से सरकार का असहयोग करने की बात कही।[17] जैसे -

1. सरकार द्वारा दिऐ गऐ सभी पद व उपाधियां छोड़ दी जाऐ।
2. सरकारी स्कूलों व कॉलेजों से बच्चों को निकाल कर राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों में डाला जाऐ।
3. वकील सरकार न्यायालयों का बायकाट करें।
4. विदेशी माल का बहिष्कार किया जाऐ।

अक्तूबर, 1920 को करनाल जिले के पानीपत शहर में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ। जिसक अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। भिवानी में अंबाला डिवीजनल पोलिटिकल कांग्रेस का आयोजन किया। जिसमें महात्मा गांधी जी, मौलाना आजाद शामिल भी हुऐ थे तथा सभा की अध्यक्षता बाबू मुरलीधर ने की। 6-8 नवम्बर, 1920 को रोहतक में भी कांफ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता चैधरी रामभज दत्त ने की।[18]

सभाओं के साथ सरकार के सम्मानीय पद व पदक लौटा दिऐ गऐ। अम्बाला के लाला मुरलीधर ने अपना राय बहादुरी का खिताब लौटा दिया। लॉ कॉलेज लाहौर के छात्र संघ के अध्यक्ष पंडित मौलीचन्द ने अपने साथियों सहित कॉलेजों को छोड़ दिया। रोहतक के गौड़ हाई स्कूल के सभी विद्यार्थीयों ने स्कूल का त्याग कर दिया। 30 नवम्बर, 1920 को भिवानी में विद्यार्थियों ने शपथ ली कि जब तक विदेशी शासन नहीं हट जाता तब तक स्कूल नहीं जाऐंगे। हिन्दू हाई स्कूल, सोनीपत, पंजाब विश्वविद्यालय से अलग हो गऐ।[19]

गांधी जी ने भिवानी, रोहतक, कलानौर की यात्रा की। उन्होंने यहाँ 25000 लोगों की उपस्थिति में वैश्य हाई स्कूल की नींव रखी।[20] वकीलों ने भी अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार किया। जिसमें हिसार के लाला शामलाल, अम्बाला के अब्दुल रशीद, जुगल किशोर शामिल थे। जनवरी, 1921 में भिवानी सरकारी न्यायालय के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। हिसार में लाला शामलाल, बक्शी राम कृष्ण ने रोहतक में वकालत छोड़ दी।[21]

विदेशी माल का बहिष्कार भी आन्दोलन के दौरान तेजी से हुआ। हांसी में मुसलमानों ने एकमत से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का निश्चय किया। सिरसा, भिवानी के कपड़ा व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा ना खरीदने की शपथ ली। मदन मोहन मालवीय व मुहम्मद अली ने रोहतक जिले का 15 दिसम्बर, 1921 को दौरा किया तथा लोगों को खद्दर के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार झज्जर में 32, बहादुरगढ़ में 17 कपड़ा व्यापारियों ने विदेशी कपड़े न खरीदने की शपथ ली।[22]

शराब की दुकानों के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व वालंटियर्स ने जगह-जगह पिकेटिंग की। रोहतक में शराब के ठेकी की वार्षिक नीलामी के समय कोई बोली देने नहीं गया। इस प्रकार असहयोग आन्दोलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जिले, तहसील, शहर, कस्बे व गांवों में कांग्रेस कमेटीयों की स्थापना की गई। रोहतक में 80 कांग्रेस कमेटीयां बनी जिनमें लगभग 7500 सदस्य बने। अम्बाला व करनाल जिलों में 40 कांग्रेस कमेटीयां बनी जिसमें 4000 सदस्य थे।[23]

लोगों का मनोबल बढ़ाने और असहयोग आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए स्थानीय कांग्रेस ने अनेक नेताओं के साथ महात्मा गांधी को भी आमंत्रित किया। 15 फरीवरी को भिवानी में एक सार्वजनिक सभा की जिसमें लगभग 30000 व्यक्ति शामिल हुऐ। सभा की अध्यक्षता लाला मुरलीधर ने की। आन्दोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नेताओं व कार्यकताओं की गिरफ्तारियां शुरू की। जिसमें पंडित नेकी राम शर्मा, लाला शामलाल, लाला मेला राम, लाला लोकचंद आदि नेताओं को गिरफ्तार किया गया।[24] 3 दिसम्बर, 1921 को लाला लाजपत राय, गोपी चन्द भार्गव, सतनाम और माणिक लाल खान को गिरफ्तार किया गया।[25] जिला गुड़गांव से महाशय भगवान दास, करनाल से गणपतराय, लाला हुक्मचन्द, लाला देशबन्धू आदि नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। दिसम्बर, 1921 से जनवरी 1922 तक हरियाणा प्रदेश से लगभग 30000 लोगों को गिरफ्तार किया गया।[26]

जब भारत के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश में आन्दोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। उसी समय 5 फरवरी, 1922 को चैरा-चैरी नामक स्थान पर हिंसात्मक घटना घटी। जिसका गांधी जी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और मजबूर होकर गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन वापिस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले की स्वीकृति देने की अपील की। इस प्रकार 12 फरवरी, 1922 को ब्रिटिश भारत के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश में असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया।[27]

उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापिस भारत आऐ तो

उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जिसमें गांधी जी के आह्वान पर भारत के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश में जनता ने विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग किया। गांधी जी का मानना था कि युद्ध के पश्चात् भारत सरकार भारत को स्वशासन प्रदान करेगा। लेकिन सरकार स्वशासन की बजाए रोल्ट एक्ट नामक कानून दिया। जिसके अन्तर्गत शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने एक्ट तथा सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए सरकार के विरूद्ध असहयोग आन्दोलन शरू करने का निश्चय किया। जब 1 अगस्त, 1920 को भारत में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। आन्दोलन के दौरान लोगों ने गिरफ्तारीयां दी, सरकार का विरोध किया। लेकिन जब आन्दोलन अपने चरम पर था तो उसी समय 5 फरवरी, 1922 को चैरा-चैरी नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना से आहत होकर असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया। इसी प्रकार 12 फरवी, 1922 को भारत के साथ-साथ हरियाणा में भी असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया।

सन्दर्भ

1. बिपिन चन्द्र, भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय, दिल्ली, 1990, पृ. 128
2. उपरोक्त, पृ. 129
3. ए.आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पोपुलर प्रकाशन, बोम्बे, 1993
4. शेखर बंधोपाध्याय, प्लासी से विभाजन तक, ऑरिएन्ट ब्लैक स्वैन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 286
5. एस.सी. मित्तल, फ्रीडम मूवमैन्ट इन पंजाबः 1905-1929, कनसैटर पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1977
6. बिपिन चन्द्र, पूर्वोद्धृत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय, दिल्ली, 1990, पृ. 132
7. के.सी. यादव, हरियाणा का इतिहास आदिकाल से 1966 तक, होप पब्लिकेशन, गुड़गांव, 2012, पृ. 447
8. उपरोक्त, पृ. 450
9. उपरोक्त
10. शेखर बंधोपाध्याय, पूर्वोद्धृत, ओरिएंट ब्लैक स्वैन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 293
11. के.सी. यादव, पूर्वोद्धृत, होप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 451
12. उपरोक्त, पृ. 452
13. बिपिन चन्द्र, पूर्वोद्धृत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय, दिल्ली, 1990, पृ. 135
14. डी.जे. तेंदूलकर, महात्मा: द लाईफ ऑफ़ मोहनदास कर्मचंद गांधी (1869-1920), वाल्यूम-1, दिल्ली, 1951, पृ. 250
15. के.सी. यादव, पूर्वोद्धृत, होप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 454
16. सत्या, एम. राय, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स एण्ड फ्रीडम स्ट्रगल इन पंजाब (1897-1947), नई दिल्ली, 1983, पृ. 106
17. बिपिन चन्द्र, पूर्वोद्धृत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय, दिल्ली, 1990, पृ. 136
18. प्रेम चैधरी, पंजाब पॉलिटिक्स: द रोल ऑफ़ सर छोटू राम, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1986, पृ. 147
19. के.सी. यादव, पूर्वोद्धृत, होप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 458
20. द क्लेक्टिड वर्क्स ऑफ़ महात्मा गांधी, वाल्यूम-1, 369
21. दि ट्रिब्यून, 19 फरवरी, 1921
22. उपरोक्त
23. उपरोक्त, 3 जुलाई, 1921
24. के.सी. यादव, पूर्वोद्धृत, होप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 461
25. सत्या, एम. राय, पूर्वोक्त, नई दिल्ली, 1977, पृ. 97

www.ignited.in

26. एस.सी. मित्तल, पूर्वोक्त, कनसैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1977, पृ. 197

27. बिपिन चन्द्र, पूर्वोद्धृत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय, दिल्ली, 1990, पृ. 140

Corresponding Author

Dr. Neeraj Kumar*

Assistant Professor, History Department, Kurukshetra University, Kurukshetra